निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 601) पटना, शनिवार, 5 नवम्बर 2011

निर्वाचन विभाग

————————

अधिसूचना

5 नवम्बर 2011

सं0 बी1–3–130/2011–60——40–लौकहा विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान–सभा के उप–निर्वाचन, 2011 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 100/बिहार–वि.स./3/2011, दिनांक 05 नवम्बर 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

आर० के० प्रसाद,

विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–उप–सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001/तारीख 5 नवम्बर, 2011/14 कार्तिक, 1933 (शक)

100/बिहार–वि.स./3/2011:—यतः बिहार राज्य की विधान–सभा में **40–लौकहा** विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री हरि प्रसाद साह** की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–150 की उप–धारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :–

(अ) बिहार राज्य से उक्त **40–लौकहा** विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों ओर किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 7 दिसम्बर, 2011 (बुधवार) से पूर्व राज्य की विधान–सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:–

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	12 नवम्बर, 2011 (शनिवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	14 नवम्बर, 2011 (सोमवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	16 नवम्बर, 2011 (बुधवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	30 नवम्बर, 2011 (बुधवार)
(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा:	7 दिसम्बर, 2011 (बुधवार)

नियत करता है; और

(इ) 8:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

के0 अजय कुमार,

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

——————

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi- 110001, dated 5th November, 2011 /14 Karthika, 1933 (Saka)

No.100/BR-LA/3/2011:- WHEREAS, the seat of Sh. Hari Prasad Sah, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **40-Laukaha** Assembly Constituency in the State, has become vacant on 03 October, 2011 by reason of his death; and

2. **WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said **40-Laukaha** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 7th December, 2011 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election :-

(a) the 12th November, 2011 (Saturday), as the last date for making nominations;

(b) the 14th November, 2011 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 16th November, 2011 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) The 30th November, 2011 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and

(e) the 7th December, 2011 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8:00 A.M. to 5:00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order
K. AJAY KUMAR,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 601-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in